

**झारखंड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

पत्रांक -3/पी. एम. सी./प्र०स्वी०/109/2016-...../राँची/दिनांक.....

प्रेषक:

ई० राजेन्द्र प्रसाद  
उप सचिव (अभि.)

सेवा में,

महालेखाकार,  
झारखंड, हिनू, राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।

विषय: सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, राँची अन्तर्गत तपकरा जलाशय योजना के नहरों के विभिन्न गेटों का जीर्णोद्धार एवं अन्य यांत्रिक कार्य हेतु कुल रू० 69.48 (उनहत्तर लाख अड़तालीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

**आदेश-स्वीकृति**

1. सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, राँची अन्तर्गत तपकरा जलाशय योजना के नहरों के विभिन्न गेटों का जीर्णोद्धार एवं अन्य यांत्रिक कार्य हेतु कुल रू० 69.48 (उनहत्तर लाख अड़तालीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. इसके अन्तर्गत निम्न कार्य कराये जायेंगे :-
  - (i) तपकरा जलाशय योजना के कैनाल नेटवर्क पर एक अदद F/R गेट दो अदद M/R गेट एवं सात अदद C/R गेटों को लगाने का कार्य।
  - (ii) उक्त गेटों का Embedded parts, Hoisting Arrangement, Side Seal, Bottom seal एवं Hoist Bridge with railing का निर्माण/अधिष्ठापन कार्य।
  - (iii) विभिन्न अवयवों की मरम्मत एवं अन्य आवश्यक संबंधित कार्य।
3. इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता (यांत्रिक) जल संसाधन विभाग, राँची तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, राँची होंगे।
4. यह कार्य बजट शीर्ष :-

मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य लघुशीर्ष-796- जन जातिय क्षेत्रीय उपयोजना -उपशीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा।
5. इस कार्य का समावेश वर्ष 2017-18, के सी०ओ०बी०टी० में समेकित रूप में है।
6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 300 का अनुपालन दृढता से किया जायेगा।
7. राशि की निकासी डोरंडा कोषागार से की जायेगी।
8. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।





9. इन कार्यों को वर्ष 2017-18 में प्रारम्भ कर एक वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।
10. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
11. प्रावधानित लौह सामग्रियों में से निकलने वाले लौह सामग्रियों का 40% राशि संवेदक के विपत्र से कटौती कर सरकारी राजस्व में जमा करना होगा।
12. इसके कार्यान्वयन के पूर्व पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदेश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
13. इस कार्य की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी, कार्य के प्रारम्भ, कार्य के दौरान एवं कार्य के पूर्ण होने पर करा लिया जायेगा।
14. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
15. प्रस्ताव पर विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
16. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

( राजेन्द्र प्रसाद )  
उप सचिव (अभि.)

पत्रांक -3/पी. एम. सी./प्र०स्वी०/109/2016-...../राँची/दिनांक.....

प्रतिलिपि: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखंड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखंड, राँची को संसूचनार्थ/योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

( राजेन्द्र प्रसाद )  
उप सचिव (अभि.)

पत्रांक -3/पी. एम. सी./प्र०स्वी०/109/2016-...../राँची/दिनांक.....

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, डोरंडा, झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

( राजेन्द्र प्रसाद )  
उप सचिव (अभि.)

पत्रांक -3/पी. एम. सी./प्र०स्वी०/109/2016-...../राँची/दिनांक.....

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/संयुक्त सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग, राँची/अभियंता प्रमुख-I/II, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता (याँत्रिक) जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/अधीक्षण अभियंता (याँत्रिक) सिंचाई याँत्रिक अंचल, राँची/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई याँत्रिक प्रमण्डल, राँची/अधीक्षण अभियंता योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल-3 राँची एवं प्रशाखा पदाधिकारी-7 जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



ह०/-

( राजेन्द्र प्रसाद )  
उप सचिव (अभि.)

पत्रांक -3/पी. एम. सी./प्र०स्वी०/109/2016-...../राँची/दिनांक.....

प्रतिलिपि: आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/-

( राजेन्द्र प्रसाद )  
उप सचिव (अभि.)

पत्रांक -3/पी. एम. सी./प्र०स्वी०/109/2016-...../राँची/दिनांक.....

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री महोदय के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

( राजेन्द्र प्रसाद )  
उप सचिव (अभि.)

पत्रांक -3/पी. एम. सी./प्र०स्वी०/109/2016-...../राँची/दिनांक.....<sup>58/17-189.खी.</sup> 29/11/2017

प्रतिलिपि: वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०-3, राँची को प्रशासनिक स्वीकृति On-line करने हेतु प्रेषित।

29/11/2017  
( राजेन्द्र प्रसाद )  
उप सचिव (अभि.)  
29/11/17